

प्रेषक,

आयुक्त  
इलाहाबाद मण्डल,  
इलाहाबाद

सेवामें,

सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र  
प्रीति विहार, नयी दिल्ली

पत्रांक/शिविर/

/2010-11

दिनांक 25-6-11

विषय : डॉन दि हायर नसीरापुर अन्दावों इलाहाबाद को सी0बी0एस0ई0 नयी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान अकृष्ट करते हुए शासनादेश संख्या 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति की संस्तुति के आधार पर उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नयी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन नयी दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नयी दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

*Veena*

PRINCIPAL

*[Signature]*

MANAGER

6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

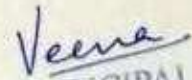
भवदीय

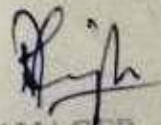
मुकेश कुमार मेश्राम  
आयुक्त  
इलाहाबाद मण्डल,  
इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या/शिविर/188/-85 /2010-11 उसीतिथि को  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0, शिविर कार्यालय 18 पार्करोड, लखनऊ।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
3. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रबन्धक डॉन दि हायर नसीरापुर अन्दावों इलाहाबाद
5. कार्यालय गार्ड पत्रावली।

  
(अमर नाथ वर्मा)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

  
PRINCIPAL  
DAWN THE HIGHER  
NASEERAPUR/ANDHAWA  
ALLAHABAD

  
MANAGER  
DAWN THE HIGHER  
NASEERAPUR/ANDHAWA  
ALLAHABAD